न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्षः एम0के0 सिंह
सदस्य

प्रकरण कमांक निग0 1447–एक/11 विरूद्ध आदेश दिनांक 25–7–11 पारित द्वारा अपर आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर प्रकरण कमांक अपील 140/अ–6/2009–10.

———

1– दीपचन्द पुत्र सुखराम चौधरी

2– सुशीलाबाई पुत्री सुखराम बैरागी
निवासीगण ग्राम कामती तहसील गाडरवारा
जिला नरसिंहपुर

3– लीलाबाई पत्नी स्व. देवीदास बैरागी
निवासी ग्राम एवं पोस्ट सेमरी हरचन्द
जिला होशंगाबाद ——— आवेदकगण

विरूद्ध

1– कट्टोबाई पत्नी श्यामदास बैरागी
निवासी ग्राम झालोन तहसील बाबई
जिला होशंगाबाद

2– शांतिबाई पत्नी सुखराम बैरागी

3– हम्मोबाई पुत्री सुखराम बैरागी
निवासीगण ग्राम कामती तहसील गाडरवारा
जिला नरसिंहपुर ——— अनावेदकगण

———

आवेदकगण की ओर से अधिवक्ता श्री एस. के. वाजपेई ।
अनावेदकगण की ओर से अधिवक्ता श्री एस. पी. धाकड़ ।

———

:: आदेश ::

(आज दिनांक 19-10-2015 को पारित)

———

यह निगरानी अपर आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर के प्रकरण क्रमांक अपील 140/अ–6/2009–10 में पारित आदेश दिनांक 25–7–11 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के तहत प्रस्तुत की गई है ।

2– प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि ग्राम कामती स्थित भूमि सर्वे नं. 395 रकबा 2.072 जिस पर श्रीदेव नरसिंह जी मंदिर गाडरवारा सर्वराहकार सुखराम दास का नाम अंकित था । सर्वराहकार सुखराम दास की मृत्यु होने पर आवेदक क्रमांक 1 दीपचंद ने उक्त संपत्ति पर वारिस पुत्र के रूप में अपना नाम दर्ज करने हेतु विचारण न्यायालय में आवेदन दिया । जिस पर से प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी तक गया । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश दिनांक 3–4–06 के परिप्रेक्ष्य में कार्यवाही करते हुए तथा ग्राम पंचायत कामती के प्रमाणपत्र एवं सुखराम के वारिसों (पत्नि एवं पुत्रियों) द्वारा दो साक्षियों के समक्ष 50/– रूपये के स्टाम्प पर निष्पादित सहमति एवं पटवारी प्रतिवेदन इत्यादि के आधार पर तहसीलदार ने आदेश दिनांक 19–4–06 द्वारा प्रश्नाधीन पर मृतक सुखराम के स्थान पर आवेदक क्रमांक 1 दीपचंद का नाम सरवराहकार के रूप में दर्ज करने के आदेश दिए ।

तहसीलदार के आदेश दिनांक 19–4–06 के विरूद्ध अनावेदक क्रमांक 1 ने अनुविभागीय अधिकारी के न्यायालय में दिनांक 26–5–08 को अर्थात दो वर्ष से अधिक समय पश्चात अपील पेश की जिसमें विलंब के प्रश्न का सर्वप्रथम निराकरण किए बिना अनुविभागीय अधिकारी ने आदेश दिनांक 17–11–09 द्वारा अपील स्वीकार की एवं प्रकरण तहसील न्यायालय को प्रत्यावर्तित किया । अनुविभागीय अधिकारी के उक्त आदेश की पुष्टि अपर आयुक्त ने आलोच्य आदेश दिनांक 25–7–11 द्वारा की है । अपर आयुक्त के आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की गई है ।

3– आवेदकों की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से यह तर्क दिए गए हैं कि विचारण न्यायालय द्वारा पिता सुखराम के स्थान पर आवेदक क्रमांक 1 का सरवराहकार के रूप में नाम दर्ज करने का जो आकदेश दिया था वह उचित एवं विधिसम्मत था । पिता की मृत्यु के उपरांत आकवेदक क्रमांक 1 ही सरवराहकार के कर्त्तव्यों का निर्वहन कर रहा है ।

यह तर्क दिया गया कि श्री देव नरसिंह मंदिर एवं उसकी संपत्ति एक निजी न्यास है । मंदिर की सेवा एवं पूजा सरवराहकार द्वारा की जाती है । आवेदक कमांक 1 की मां वृद्ध विधवा हैं तथा आवेदक कमांक 1 की बहनें विवाहित होकर अपने पति के घर रहती हैं ऐसी स्थिति में उनके द्वारा मंदिर एवं उसकी संपत्ति का प्रबंध एवं व्यवस्था करना संभव नहीं है और ना ही उनके द्वारा पिता की मृत्यु के पश्चात कोई कार्य किया गया है ।

यह तर्क दिया गया कि सरवराहकार का पद उत्तराधिकारियों में विभाजन योग्य नहीं है । अधीनस्थ न्यायालयों का यह निष्कर्ष सही नहीं है कि " भूमिस्वामी " के स्थान पर नामांतरण होना है । सुखराम भूमिस्वामी नहीं थे । राजस्व अभिलेखों में संपत्ति श्री नरसिंह मंदिर के नाम पर प्रविष्ट है । आवेदक कमांक 1 का नाम नामांतरण सरवराहकार के रूप में किया गया है नाकि भूमिस्वामी के रूप में । आवेदक कमांक 1 के पिता सुखराम की व्यक्तिगत भूमि पर उनके समस्त वैध उत्तराधिकारियों को अपना नामांतरण कराने की पात्रता है न कि मंदिर की भूमि पर । अधीनस्थ न्यायालय से उक्त स्थिति को अनदेखा किया है इस कारण उनके आदेश निरस्ती योग्य हैं ।

यह तर्क दिया गया है कि अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत अपील अवधि बाधित थी । विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि समयावधि के प्रश्न का निराकरण सर्वप्रथम करना चाहिए था किंतु अनुविभागीय अधिकारी ने ऐसा किए बिना गुणदोषों पर आदेश पारित किया था जो विचाराधिकार रहित था, ऐसे आदेश को स्थिर रखने में अपर आयुक्त ने गंभीर भूल की है ।

4– अनावेदकों की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से यह तर्क दिए गए हैं नामांतरण हक के आधार पर किया जाना चाहिए इसलिए दोनों अपीलीय न्यायालयों के आदेश उचित हैं । यह भी कहा गया कि आवेदक कमांक 1 ने मंदिर की भूमि का विकय किया है जिसका उसे कोई अधिकार नहीं है । विद्वान अधिवक्ता द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को विधिसम्मत बताते हुए निगरानी निरस्त किए जाने का अनुरोध किया गया ।

5– जबाव में आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि उनके द्वारा मंदिर की भूमि का विकय नहीं किया गया है बल्कि मंदिर के नाम से और भूमि कय की गई है ।

5– उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों पर विचार किया एवं अधीनस्थ

न्यायालयों के अभिलेखों एवं आदेशों का सूक्ष्मता से अवलोकन किया । यह प्रकरण निजी मंदिर की भूमि पर सरवराहकारकी मृत्यु होने पर उसके स्थान पर आवेदक द्वारा अपना नाम अंकित किए जाने हेतु आवेदन किया गया जिसे बोधगम्य आदेश द्वारा विचारण न्यायालय ने स्वीकार करते हुए प्रश्नाधीन भूमि पर आवेदक कमांक 1 का नाम सरवराहकार के रूप में अंकित करने के आदेश दिए । इसके विरूद्ध प्रस्तुत प्रथम अपील में प्रकरण प्रत्यावर्तित किया गया जिसकी पुष्टि अपर आयुक्त ने द्वितीय अपील में की है । अपीलीय आदेशों में यह उल्लेख किया गया है कि विचारण न्यायालय में विधिवत कार्यवाही नहीं हुई है और संबंधित पक्षकारों को सूचना नहीं दी गई है इस आधार पर विचारण न्यायालय का आदेश अपास्त किया गया है । प्रकरण को देखने से यह स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय के समक्ष मूल सरवराहकार की मृत्यु के उपरांत उसकी पुत्रियों ने सहमति देकर अपने भाई का नाम अंकित करने पर कोई आपत्ति नहीं बताई ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय के आदेश में कोई अनियमितता या अवैधानिकता प्रतीत नहीं होती है । विचारण न्यायालय द्वारा आवेदक कमांक 1 का नाम मंदिर के नाम दर्ज भूमि पर सरवराहकार के रूप में अंकित किया गया है ना कि भूमिस्वामी के रूप में । विचारण न्यायालय में जो सहमति दी गई है वह स्टाम्प पर दी गई है, जिस पर अविश्वास का कोई कारण नहीं है । ऐसी स्थिति में यदि कोई बाद में असहमति बताता है तो उसका कोई महत्व नहीं है । सहमति से पारित आदेश के विरूद्ध अपील प्रचलन योग्य नही है । अधीनस्थ दोनों अपीलीय न्यायालयों द्वारा उक्त तथ्यों को अनदेखा करते हुए आदेश पारित किये जाने में त्रुटि की गई है ।

6– इस प्रकरण में यह निर्विवाद है कि तहसीलदार द्वारा पारित आदेश दिनांक 19–4–06 के विरूद्ध अनावेदक कमांक 1 ने अनुविभागीय अधिकारी के न्यायालय में दिनांक 26–5–08 को अर्थात दो वर्ष से अधिक समय पश्चात अपील पेश की गई है । न्यायदृष्टांत 1993 आर0एन0 4 में मंडल के विद्वान अध्यक्ष द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि भू–राजस्व संहिता, 1959 (म0प्र0) धारा 44(1) तथा 47 – समय वर्जित अपील – अपील न्यायालय का कर्त्तव्य एवं शक्तियां – सर्वप्रथम परिसीमा विवाद्यक विनिश्चत किया जाना चाहिए – गुणागुण पर आदेश केवल परिसीमा विवाद्यक के विनिश्चयन के पश्चात पारित किया जा सकता है । जबकि प्रस्तुत प्रकरण में अनुविभागीय अधिकारी

द्वारा ऐसा न करते हुए एक साथ आदेश पारित किया गया है, जो उक्त न्यायदृष्टांत के प्रकाश में विधिसम्मत नहीं है । इस तथ्य को भी अपर आयुक्त ने अनदेखा किया है । दर्शित परिस्थिति में यह पाया जाता है कि अनुविभागीय अधिकारी एवं अपर आयुक्त के जो आदेश इस प्रकरण में हैं वे औचित्यपूर्ण, न्यायिक एवं विधिसम्मत नहीं होंने से स्थिर नहीं रखे जा सकते ।

उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह निगरानी स्वीकार की जाती है तथा अपर आयुक्त 25–7–11 एवं अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 17–11–09 निरस्त किए जाते हैं तथा तहसीलदार द्वारा पारित आदेश दिनांक 19–4–06 स्थिर रखा जाता है ।

(एम0 के0 सिंह)
सदस्य
राजस्व मंडल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर